न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ता आर ए एस
राजस्व वाद संख्या :–158/2024

1. अजमेर कौर उर्फ जमेर कौर पुत्री नारायणसिंह पत्नी मिठूसिंह जाति बावरी निवासी ढाणी लूणावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादीया

बनाम

1. करतार कौर पत्नी दलीप पुत्री नारायणसिंह जाति बावरी निवासी ढाणी लूणावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मुख्त्यार कौर पत्नी जीतराम पुत्री नारायणसिंह जाति बावरी निवासी ढाणी लूणावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. पंजाब कौर पत्नी दलवीरसिंह पुत्री नारायणसिंह जाति बावरी निवासी ढाणी लूणावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेन्द्रपाल वर्मा अधिवक्ता	वादीया
2. श्री विजय बैनीवाल अधिवक्ता	प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :–03.09.2024

वादीया अजमेर कौर उर्फ जमेर कौर ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन व रास्ता स्वीकृति के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि वादीनी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाता मे वक नम्बर 3 एम. एस.टी.–एस.एम. जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 14/12 मे कुल 9.349 हैक्टर कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित नकल जमाबन्दी सलंग्न वाद–पत्र है।

वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमेर कौर दर्ज है जबकि वादीया का सही नाम अजमेर कौर है जो कि वादीया के आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में दर्ज है। अजमेर कौर व जमेर कौर दोनो नाम वादीया के ही है तथा दोनो नाम की एक ही औरत वादीया ही है। वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमेर कौर दर्ज रहने से तथा वादीया का सही नाम अजमेर कौर होने से नाम में भिन्नता बनी रहती है इसलिए वादीया वक नम्बर 3 एम.एस.टी.–एस.एम. जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 14/12 मे अपना नाम जमेर कौर के स्थान पर सही नाम अजमेर कौर दर्ज करवाना चाहती है। वादीया की आराजी का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त चला आ रहा है। वादीया व प्रतिवादीगण ने अपने कब्जा काश्त व रास्ता, खाला की सहुलियत के अनुसार अपनी संयुक्त खाता की आराजी का बाहमी विभाजन कर लिया था व बाहमी विभाजन के अनुसार अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है। बाहमी विभाजन में प्राप्त आराजी निम्न प्रकार से है:–

(क). वादीया अजमेरकौर को विभाजन में प्राप्त आराजी :– वक नम्बर 3 एम.एस.टी. –एस.एम. के खाता संख्या 14/12 के पत्थर नम्बर 189/339(27) किला नम्बर

Scanned with CamScanner

5/0.228 पश्चिमी दिशा, 6/2/0.241 मे से 0.196 हैक्टर उत्तरी दिशा, पत्थर नम्बर 190/339(26) किला नम्बर 2/1/0.127 हैक्टर में से 0.064 हैक्टर दक्षिणी दिशा, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22 सालम।

(ख). प्रतिवादीया संख्या 1 करतारकौर को विभाजन में प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 3 एम.एस.टी.–एस.एम. के खाता संख्या 14/12 के पत्थर नम्बर 190/338(9) किला नम्बर 9/0.253 हैक्टर में से 0.122 हैक्टर पश्चिमी दिशा, 10, 14, 15, 16, 17, 18 प्रत्येक सालम, 11/0.253 हैक्टर में से 0.232 हैक्टर पश्चिमी दिशा, 19/0.253 हैक्टर में से 0.013 हैक्टर पश्चिमी दिशा, 24/1/0.228 हैक्टर में से 0.114 हैक्टर उत्तरी दिशा, 25/1/0.228 हैक्टर, पत्थर नम्बर 189/339(27) किला नम्बर 6/2/0.241 हैक्टर में से 0.032 हैक्टर दक्षिणी दिशा।

(ग). प्रतिवादीया संख्या 2 गुखत्यारकौर को विभाजन में प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 3 एम.एस.टी.–एस.एम. के खाता संख्या 14/12 के पत्थर नम्बर 190/339(26) किला नम्बर 4, 5, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक सालम, पत्थर नम्बर 190/338(9) किला नम्बर 11/0.253 हैक्टर में से 0.021 हैक्टर पूर्वी दिशा, 12/0.253 हैक्टर मे से 0.228 हैक्टर, 19/ .253 हैक्टर मे से .214 हैक्टर, 22/2/.114 हैक्टर मे से .101 हैक्टर, 23/1/.228 हैक्टर में से .176 हैक्टर

(घ). प्रतिवादीया संख्या 3 पंजाब कौर को प्राप्त आराजीः– चक नम्बर 3 एम.एस.टी. –एस.एम. के पत्थर नम्बर 190/339(26) किला नम्बर 2/1/0.127 हैक्टर में से 0.063 हैक्टर उत्तरी दिशा, 3/0.253 हैक्टर में से 0.202 हैक्टर, 6, 7, 14, 15, 17 प्रत्येक सालम, पत्थर नम्बर 190/338(9) किला नम्बर 9/0.253 हैक्टर में से 0.106 हैक्टर पूर्वी दिशा, 8, 13 सालम, 24/1/0.228 हैक्टर में से 0.114 हैक्टर दक्षिणी दिशा।

वादीया वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज विभाजन मे प्राप्त आराजी के अनुसार अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाती चली आ रही है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाती चली आ रही है व लेकिन वादीया की आराजी का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रहने से वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में रकमराज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है। इसलिए वादीया चक नम्बर 3 एम.एस. टी.–एस.एम. जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 14/12 में अपना नाम जमेर कौर के स्थान पर सही नाम अजमेर कौर दर्ज करवाकर अपनी आराजी का खाता वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा के अनुसार तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने व वादपत्र की दफा 6 के अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है।

वादीया नें प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वह वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज वादीया का नाम दुरूस्त करवाने तथा वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी खाता तकसीम करवाने व वाद पत्र की दफा 6 के अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे व अन्त में वादीया का निवेदन मानने से कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

वादीया का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क)घोषित किया जावे कि चक नम्बर 3 एम.एस.टी.–एस.एम. जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 14/12 में अपना नाम जमेर कौर के स्थान पर सही नाम अजमेर कौर अंकित किया जावे।

Scanned with CamScanner

(ख) वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा में प्राप्त वादीया की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जावे।

(ग) वाद पत्र की दफा 6 के अनुसार रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में मै0मु0 रास्ता का अंकन किया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ङ) अन्य कोई अनुतोष वहक वादीया हो तो अता फरमावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड रिकॉर्ड में जमेर कौर दर्ज है जबकि वादीया का सही नाम अजमेर कौर है। अजमेर कौर व जमेर कौर दोनो नाम वादीया के ही है तथा दोनो नाम की एक ही औरत वादीया ही है। इसलिए वक नम्बर 3 एम.एस.टी.-एस.एम. जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 14/12 में वादीया अजमेर का नाम जमेर कौर के स्थान पर सही नाम अजमेर कौर दर्ज किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। वादीया की आराजी का खाता हम प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त चला आ रहा है। वादीया व हम प्रतिवादीगण ने अपने कब्जा काश्त व रास्ता, खाला की सहुलियत के अनुसार अपनी संयुक्त खाता की आराजी का बाहमी विभाजन कर लिया था व बाहमी विभाजन के अनुसार अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है।

वादीया वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज विभाजन मे प्राप्त आराजी के अनुसार अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाती चली आ रही है इसलिए वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा के अनुसार वादीगण की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जाकर वाद पत्र की दफा 6 के अनुसार रास्ता स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में मै0मु0 रास्ता का अंकन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व ऐतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है।जवाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियाँ पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। वादीया द्वारा साक्ष्य के रुप में अपने शपथ पत्र पेश किये गये व दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये, राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादीया ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में वादीया का नाम सहवन से जमेर कौर दर्ज है जबकि वादीया का सही नाम अजमेर कौर है इसलिए वादीया का नाम जमेर कौर के स्थान पर वादीया का नाम अजमेर कौर दर्ज किया जावे तथा वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा के अनुसार आराजी का आपस में बंटवारा किया हुआ है व वाद पत्र की दफा 6 के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण ने अपनी आराजी के लिए रास्ता छोडा हुआ है। इसलिए वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बंटवारा के अनुसार आराजी का खाता तकसीम करने तथा वाद पत्र की दफा 6 के अनुसार रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में वादीया का नाम जमेर कौर दर्ज है तथा वादीया का सही नाम अजमेर कौर है जिसको जमेर कौर के स्थान पर अजमेर कौर करने का निवेदन किया गया है तथा वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण की आराजी

Scanned with CamScanner

का खाता तकसीम करने व वाद पत्र की दफा 6 के अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक जबाबदावा सहमति वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादीया का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा सहमति,शपथ पत्र साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पत्रावली में वादीया द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयां प्रस्तुत की गई है उन दस्तावेजो के आधार पर वादीया का वाद साबित होता है।प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक जबाबदावा सहमति वाद वादीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा सहमति व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीया साबित करने में सफल रही है।वाद वादीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वादीया एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 251ए के अन्तर्गत वाद वादीया स्वीकार किया जाता है कि

(क). वादीया अजमेरकौर को विभाजन में प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 3 एम.एस.टी.–एस.एम. के खाता संख्या 14/12 के पत्थर नम्बर 189/339(27) किला नम्बर 5/0.228 पश्चिमी दिशा, 6/2/0.241 मे से 0.196 हैक्टर उतरी दिशा, पत्थर नम्बर 190/339(26) किला नम्बर 2/1/0.127 हैक्टर में से 0.064 हैक्टर दक्षिणी दिशा, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22 सालम।

(ख). प्रतिवादीया सख्या 1 करतारकौर को विभाजन में प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 3 एम.एस.टी.–एस.एम. के खाता संख्या 14/12 के पत्थर नम्बर 190/338(9) किला नम्बर 9/0.253 हैक्टर में से 0.122 हैक्टर पश्चिमी दिशा, 10, 14, 15, 16, 17, 18 प्रत्येक सालम, 11/0.253 हैक्टर में से 0.232 हैक्टर पश्चिमी दिशा, 19/0.253 हैक्टर में से 0.013 हैक्टर पश्चिमी दिशा, 24/1/0.228 हैक्टर में से 0.114 हैक्टर उतरी दिशा, 25/1/0.228 हैक्टर, पत्थर नम्बर 189/339(27) किला नम्बर 6/2/0.241 हैक्टर में से 0.032 हैक्टर दक्षिणी दिशा।

(ग). प्रतिवादीया संख्या 2 मुखत्यारकौर को विभाजन में प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 3 एम.एस.टी.–एस.एम. के खाता संख्या 14/12 के पत्थर नम्बर 190/339(26) किला नम्बर 4, 5, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक सालम, पत्थर नम्बर 190/338(9) किला नम्बर 11/0.253 हैक्टर में से 0.021 हैक्टर पूर्वी दिशा, 12/0.253 हैक्टर मे से 0.228 हैक्टर, 19/ .253 हैक्टर, मे से 214 हैक्टर, 22/2/.114 हैक्टर मे से .101 हैक्टर, 23/1/.228 हैक्टर में से .176 हैक्टर

(घ). प्रतिवादीया संख्या 3 पंजाब कौर को प्राप्त आराजी:– चक नम्बर 3 एम.एस.टी.–एस.एम. के पत्थर नम्बर 190/339(26) किला नम्बर 2/1/0.127 हैक्टर में से 0.063 हैक्टर उतरी दिशा, 3/0.253 हैक्टर में से 0.202 हैक्टर, 6, 7, 14, 15, 17 प्रत्येक सालम, पत्थर नम्बर 190/338(9) किला नम्बर 9/0.253 हैक्टर में से

Scanned with CamScanner

0.106 हैक्टर पूर्वी दिशा, 8, 13 सालम, 24/1/0.228 हैक्टर में से 0.114 हैक्टर दक्षिणी दिशा।

उपरोक्त अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 3 एम.एस.टी.-एस.एम. जमाबन्दी साल 2075 ता 78 के खाता संख्या 14/12 मे दर्ज वादीया का नाम जमेर कौर को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही नाम अजमेर कौर दर्ज करने व चक नम्बर 3 एम.एस.टी.-एस.एम. के पत्थर नम्बर 189/339(27) किला नम्बर 5 में पूर्व दिशा में दो बिश्वा रास्ता, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ एक बीघा लम्बा व इसी पत्थर नम्बर के किला नम्बर 6/2 मे 01 बिश्वा रास्ता पूर्वी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण तथा पत्थर नम्बर 190/338(9) किला नम्बर 23 के पूर्वी दिशा की तरफ दो बिश्वा रास्ता दक्षिण से उत्तर एंव इसी पत्थर नम्बर 190/238(9) के किला नम्बर 23 में उत्तर दिशा की तरफ 2 बिश्वा रास्ता पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा की तरफ एंव इसी पत्थर नम्बर 190/238(9) के किला नम्बर 22 में आधा बीघा लम्बा एक बिश्वा चौडा रास्ता उत्तरी दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम व इसी पत्थर नम्बर 190/238(9) के किला नम्बर 19 मे पूर्वी दिशा की तरफ 0.013 हैक्टर कृषि भूमि किला नम्बर 18 के विपते छोड़कर, दक्षिणी दिशा से उत्तर दिशा की तरफ दो बिश्वा रास्ता एंव किला नम्बर 12 मे पूर्वी दिशा की तरफ दक्षिण से उत्तर दो बिश्वा रास्ता एंव किला नम्बर 9 में दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम दो बिश्वा रास्ता, पत्थर नम्बर 190/339 (26) किला नम्बर 3 मे पूर्वी दिशा की तरफ, उत्तर से दक्षिण 2 बिश्वा व इसी किला के दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व दिशा में पश्चिमी दिशा की तरफ 2 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकन किया जाकर लगान कायम किया जावे।भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 03.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner